

2564

Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
D-41, Kausambi (Ghaziabad)

No.: API/2007-08/220

27.03.2008

The Sr. Vice President & Co. Secretary
Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
New Delhi

Sir,

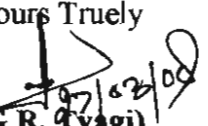
Please find enclosed herewith Original Sale Deed of HT Dadri Project. The details of Sale Deed are as under :-

- 1) Sale Deed No. : 250/2726
- 2) Date of Execution : 07.03.2008
- 3) Cost of Land : 20,00,000/-
- 4) Stamp Paper Used : 1,60,000/-
- 5) No. of Pages : 11
- 6) Name of Sellers/POA Holder : Smt.Krisna Devi W/o Sh. Rampat
village ;Haraila
Pargana & Tehsil : Dadri
Distt.: Gautam Budh Nagar
- 7) Name of Purchaser : Sh. Krishan Kumar S/o Sh.Om Prakash
R/o. Village : Tugal Pur
Tehsil & Distt.: Gautam Budh Nagar
- 8) Area : 0.1995 Hect.

Kindly acknowledge receipt.

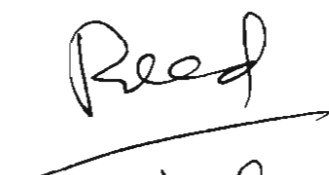
Thanking you

Yours Truly


(G.R. Tyagi)
DGM (Land)

Encl.: As above

CC : Executive Director, Business Development for information



31.3.08

F 2726

2564

250



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DIST. G. B. NAGAR

On Identification
of Witnesses
Photo AttachedNOTARY
G. B. NAGAR

004230

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 20,00,000/- रुपये।

स्टाम्प अंकन 1,60,000/- रुपये।

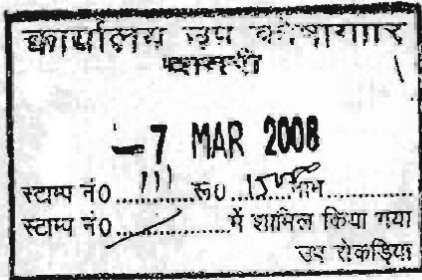
विवरण विक्रय सम्पत्ति:- कृषि भूमिधरी के चक संख्या 343 के मूल खेत नं० 41मि० रकबा 0-3-0 पुख्ता व खेत नं० 42मि० रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं० 65 रकबा 0-9-0 पुख्ता व खेत नं० 66मि० रकबा 0-3-0 पुख्ता व खेत नं० 67 रकबा 1-2-0 पुख्ता व खेत नं० 68 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं० 70 रकबा 0-6-0 पुख्ता इस प्रकार कुल सात खेत रकबई 3-3-0 पुख्ता का 1/4 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 0-15-15 पुख्ता अर्थात् 0.1995 हैक्टेयर भूमि जिसको मैंने बैनामों द्वारा दिनांक 14-07-2006 ई० को साहबराम पुत्र श्री भोपता से खरीद किया था जिसे बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला-गौतमबुद्धनगर।

श्री प्रेमलाल दुहाना



शुद्धा कुमाल





कृष्ण कुमार १७ जून २००८

१७ जून २००८

पनामा २०००००००/- फीस रजि० ५००००/-
उजरत २०००/- योजा ५०२००/- शब्द लगभग १००
श्री मधु कृष्ण देवी
पुत्र श्री जय राम प्रसाद पेशा गृहकार्य
निवासी जय राम एरोला पर तह ६/६/०८
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक ७/७/०८
समय मध्य ५... व ५... बजे प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार दादरी
७/७/०८

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखे

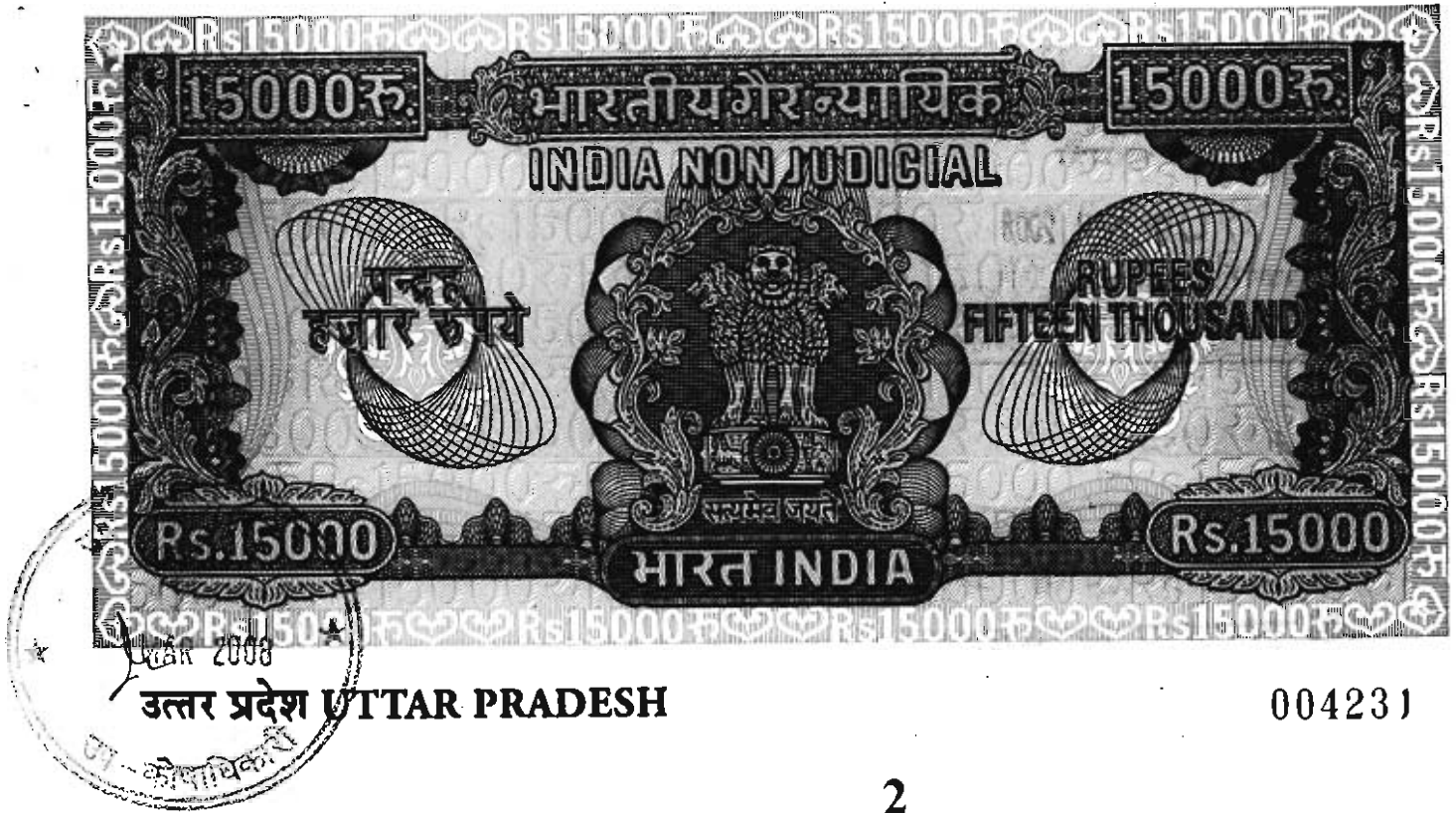
जरेबदल मु० २०००००००/- संपादन एवं लेखन अनुसार
जिसमें से

जब मेरे संपादन के उक्त श्री मधु कृष्ण देवी मुक्ति दान ने व

तब मील सिक्की कृष्ण कुमार का प्रमाण प्रमाण R1. ग्राम बुजलपुर

एवं एकर ने स्वीकार किया।





2

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से है।

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है।
संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 35,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर का है। किन्तु क्रेता द्वारा सर्किल रेट का दोगुना करके तथा उससे भी अधिक पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रीत भूमि किसी जी०टी०रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा वय पंजीकृत नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

बलवीर सिंह उष कोषागार
 -7 MAR 2008
 स्टाम्प नं० 111 रु० 15/-
 स्टाम्प नं० 111 में शामिल किया गया
 उष रोकड़िया

लाल बदन श्री हरि डोग
 पुत्र श्री डोग सुभाष पेसा
 निवासी तुजलपुर 1/8 स/दर
 व श्री गोरन सिंह
 पुत्र श्री गोरन सिंह पेसा
 निवासी गडी 6/दर
 ने की

सविनियमित दादरी
 7/3/08

सुभाष डोग



सि.म.स. के सुभाष देवी ह

हरि डोग



गोरन सिंह



अंगुष्ठ निष्पत्तुसार लिये गया

उप निष्पत्तुकार
 दादरी, गौतम बट



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004232

3

हम कि श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री रामपत जाति जाटव
निवासी ग्राम हरौला, परगना व तहसील -दादरी, जिला-
गौतमबुद्धनगर (विक्रेत्री, फरीक अव्वल)।

एवम्

कृष्ण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति कोरी, निवासी ग्राम
तुगलपुर, तहसील व जिला- गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश)
(क्रेता फरीक दोयम)।

नर कृष्णा



कृष्ण कुमार



कार्यालय उप कोषागार
वावरी

-7 MAR 2008

साम्य नं० 113 ल० 157 नाम.....
साम्य नं० 11/ में शामिल किया गया
उप रोक दिया

उत्तर प्रदेश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

004233

4

विदित हो कि कृषि भूमिधरी के चक संख्या 343 के मूल खेत नं0 41मि0 रकबा 0-3-0 पुख्ता व खेत नं0 42मि0 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं0 65 रकबा 0-9-0 पुख्ता व खेत नं0 66मि0 रकबा 0-3-0 पुख्ता व खेत नं0 67 रकबा 1-2-0 पुख्ता व खेत नं0 68 रकबा 0-10-0 पुख्ता व खेत नं0 70 रकबा 0-6-0 पुख्ता इस प्रकार कुल सात खेत रकबई 3-3-0 पुख्ता का 1/4 भाग सम्पूर्ण अपना बकदर 0-15-15 पुख्ता अर्थात 0.1995 हैक्टेयर भूमि जिसको मैंने बैनामें द्वारा दिनांक 14-07-2006 ई0 को साहबराम पुत्र श्री भोपता से खरीद किया था जिसे बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम

नरि दुल्ला



सुबह सुभा



कार्यालय उप कोषागार
दावरी

-7 MAR 2008

पत्रांक 124/2008/11/1
स्थान नं० 11/1 में शामिल किया गया
उप रोका दिया





5

चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर, जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी

नरेंद्र कुमार



रुद्र कुमार

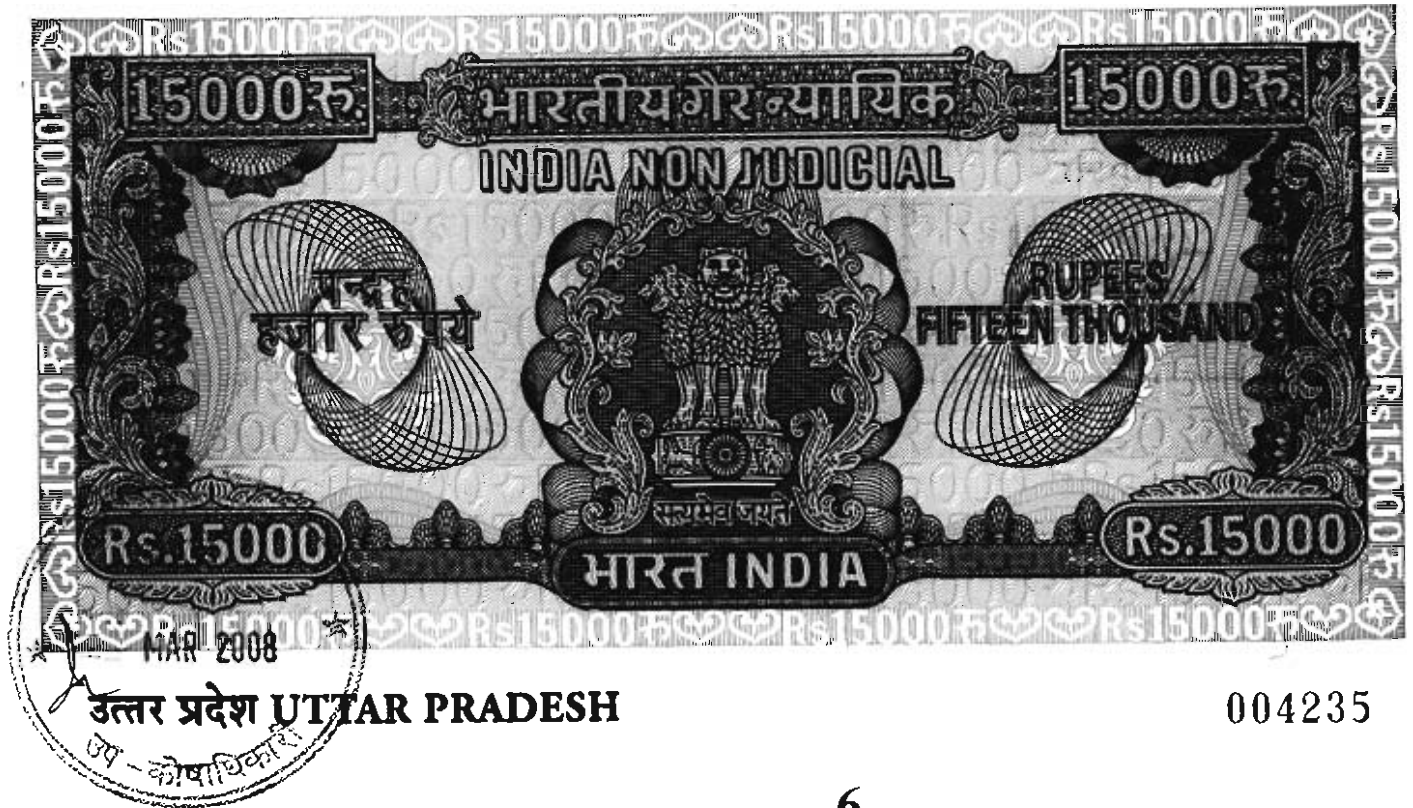


कार्यालय सप कवागार
पत्रावली

7 MAR 2008

स्टाम्प नं० १५ रु० १५ मिनट
स्टाम्प नं० १२ में शामिल किया गया
सप रोकाडिया





6

समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजार कीमत के बदले अंकन रुपये 20,00,000/- (बीस लाख रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन रुपये 10,00,000/- होते हैं में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात् भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये

नरेश कुमार



के.एन.कुमार



कार्यालय उप कोषागार
दाखरी

-7 MAR 2008

स्टाम्प नं०...nb...रु०...15...नाम.....
स्टाम्प नं०...11)...में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





7

पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुकश कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक

नी कब्जा

कब्जा

कार्यालय उप कोषागार
सादरी

- 7 MAR 2008

स्टाम्प नं० 112... रु० 1.50...
स्टाम्प नं० 111... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





8

दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का बनाम फरीक दोयम के करा दूंगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

निष्कर्ष

मुद्रांक

समयालय उप कोषागार
बावरी

7 MAR 2008

स्टाम्प नं० 118 रु० 15 नि
स्टाम्प नं० 112 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





9

विवरण धन अदायगी :- अंकन 20,00,000/- रुपये पेशगी फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

नीलकण्ठ



शुद्ध कृपा



कायलाय छप कावागाह
बावरी

7 MAR 2008

स्यम्प नं० ११९ रु० १५० मि

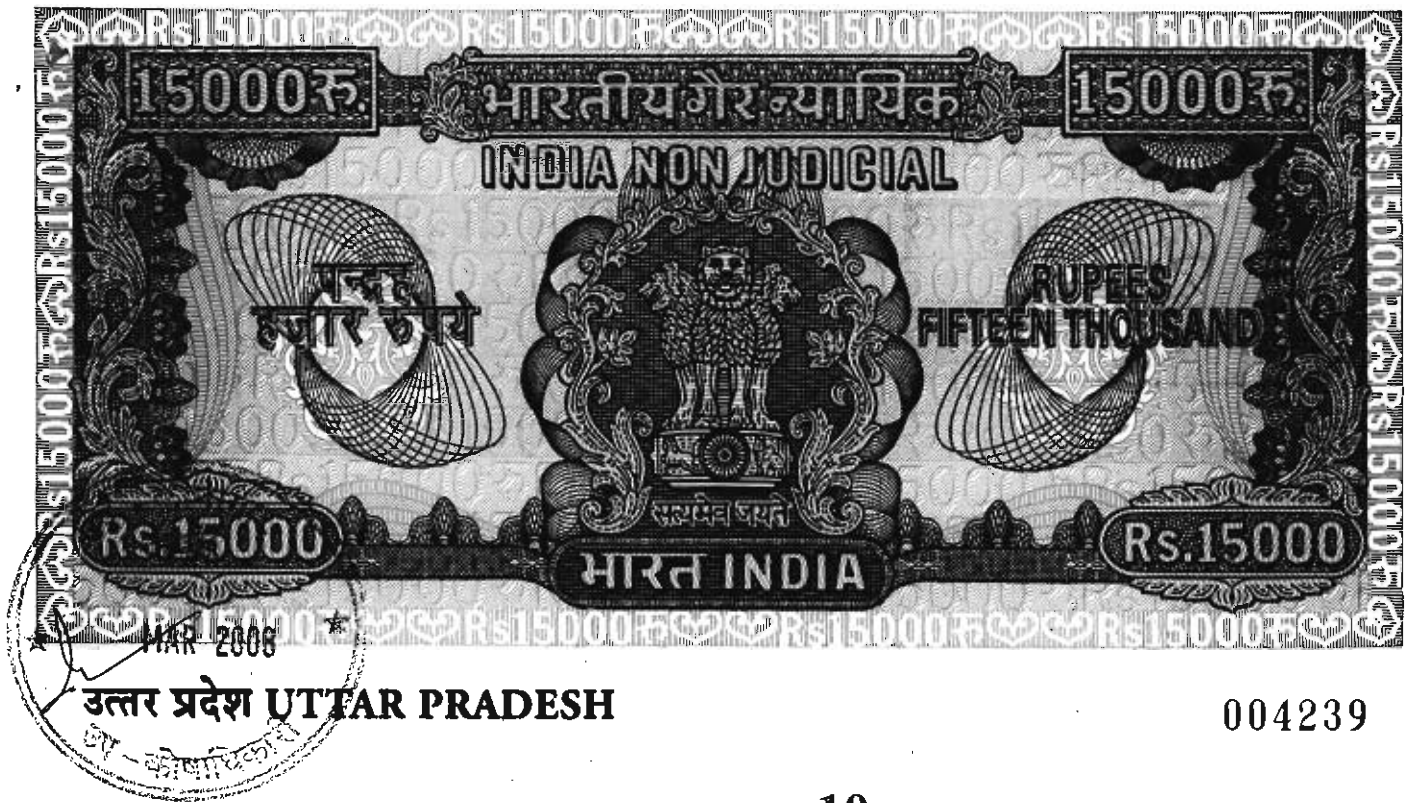
स्यम्प नं० ११२ में शामिल किया गया

उप रोक दिया

81.5100

UTTAR PRADESH





10

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

नीरुणा



मुहल्ला मुना



कायालय उप कोषागार
दाकरी

7 MAR 2008

स्टाम्प नं० 120 रु० 15 निम
स्टाम्प नं० 117 में शामिल किया गया
उप रोकरिया





11

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति॥

निवेदन



सहस्र



गवाह - 1 हरिजीत

हरिजीत & ओमप्रकाश
निवेदन

गवाह - 2

सहस्र

सहस्र

07/03/08

तारीख 07-03-2008 ई0 मसौदाकर्ता राधेश्याम अग्रवाल, बैनामा
लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) लाइसेन्स नं0 राधेश्याम अग्रवाल

बैनामा लेखक दादरी - 1
सहस्र-दादरी (गौतमबुद्धनगर)

कार्यालय उप कोषागार
चावरी

7 MAR 2008

स्टाम्प नं० 12180 10 मिन

स्टाम्प नं० 111 में शामिल किया गया
उप रोक दिया

जाज दिनांक 7/3/2008 को फोटोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या 5 खण्ड संख्या 1105
के पृष्ठ 359 पर क्रम संख्या 2726
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी

